Pay for casual labour

2197. SHRI SUKOMAL SEN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that almost all Government offices and departments and Government undertakings employ casual labour on daily rates of wages which are far below the scale rate of Wage Board Award;

(b) if so, whether Government propose to give them equal wages and regularise their services after six months in accordance with directives of the Supreme Court judgment on Equal Pay for Equal Work; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI BIREN SINGH ENGTI): (a) Casual workers on daily wages are employed in a number of Central Government offices and public sector enterprises. The rates of daily wages of unskilled casual labour in Central Government offices in Delhi/New Delhi are fixed by the Ministry of Labour. These are not subject to any Wage Board Award. Rates of daily wages of casual workers outside Delhi/New Delhi are governed by the notifications issued by the respective States Governments.

(b) and (c) The implications of the Supreme Court judgment delivered on 17-1-86 on the writ petition filed by Shri Surinder Singh and another vs Engineer in Chief, CPWD and others are under examination of the Government.

दिल्ली नगर निगम में घोटाले का समाचार

2198. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली नगर निगम में घोटाले के समाचार के संबंध में 14 जुलाई, 1986 के "जनसत्ता" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) समाचार में उल्लिखित छः बीघे और दस बिसवे, भूमि पार्कों और खुले स्थानों और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए निर्धारित है लेकिन इस स्थान का अतिक्रमण किए जाने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम द्वारा इस भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सका। इसके अतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1985 की 2 सिविल रिट याचिकाओं में यथा-स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है ।

सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य-दलों का जमाव

2199. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ओर सीमा पर पाकिस्तान ने अपने सैन्य दलों का जमाव किया हुआ है और दूसरी ओर चीन भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया है तथा ये दोनों देश भारत के आतंकवादियों को सहायता कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण और शास्त्रादि दे रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत इस समय ऐसी स्थिति में फंस गया है कि जिसमें उसे एक साथ तीन मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार इस देश के लोगों को सतर्क रखेगी और ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए उन्हें तैयार रहने के लिए कहेगी ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) (क) से (ग) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि